


24.8.22

पत्रावली का ड्रॉई कोई पदाकार उपस्थित नहीं।
वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.7.22 को नोटिस
अर्जित किया जा चुका है। पत्रावली में वादी को सूचना
हेतु लम्बन/नोटिस तारीख पेशी दिनांक 4.1.23 के
गारी बिस्व जो दिनांक 11.1.23 को बाद तामिल गप्त
वादी बाद तामिल उपस्थित नहीं हुआ। जिससे स्पष्ट है कि
श्री वादी अपने बाद के प्रति गंभीर नहीं हैं एवं नहीं
बाद चलाना चाहता है। न्यायालय द्वारा रुक-रुक कर
तीन बार आवाज लगावर्टे बावजूद इसके कोई उपस्थित
नहीं हुआ।

अतः वादी का बाद अदम हाजरी अदम फेरवी आदेश
नुसार 8 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। निर्णय
श्रे इजलाल सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से
सम है।


प्रतिभा वर्मा
IAS
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर